

प्रेस नोट- दिनांक 29.05.2021

थाना - शाही, जनपद बरेली।

थाना शाही #Bareillypolice द्वारा लूट की योजना बनाते हुए तीन लूटेरो को अवैध असलहो व दो टार्च व दो मोटर साईकिलों के साथ किया गया गिरफ्तार।

दिनांक 29.05.2021 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के निर्देशन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बरेली तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी मीरगंज के कुशल मार्गदर्शन एवं निर्देशन में थाना शाही जिला बरेली पर थानाध्यक्ष श्री अश्वनी कुमार के नेतृत्व में थाना शाही पुलिस द्वारा लूट की योजना बनाने वाले तीन अभियुक्त गण 1. त्रिवेन्द्र उर्फ मोनू पुत्र चुन्नी लाल नि० ग्राम चमरौआ थाना भोजीपुरा जिला बरेली 2. विजय पाल उर्फ सन्नी पुत्र दिल्ली धर नि० ग्राम चमरौआ थाना भोजीपुरा जिला बरेली 3. सुमित गंगवार पुत्र विद्याराम नि० मो० आजाद नगर, ट्रांजिट कैम्प थाना ट्रांजिट कैम्प जिला उद्यम सिंह नगर (उत्तराखण्ड) को अवैध असलहो व दो टार्च व दो मोटर साईकिलों के साथ खरसैनी बार्डर पर गिरफ्तार किया गया। पूर्व में भी उपरोक्त अभियुक्त गण द्वारा थाना सीबीगंज क्षेत्र व थाना भोजीपुरा क्षेत्र में मोबाइल लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। थाना शाही पुलिस द्वारा लूट की योजना बनाने के सम्बन्ध में उक्त तीनों अभियुक्त 1. त्रिवेन्द्र उर्फ मोनू 2. विजय पाल उर्फ सन्नी 3. सुमित गंगवार के विरूद्ध मु०अ०सं० 110/2021 धारा 398/401 IPC पंजीकृत किया गया व अभियुक्त त्रिवेन्द्र उर्फ मोनू पुत्र चुन्नी लाल नि० ग्राम चमरौआ थाना भोजीपुरा जिला बरेली के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर मय एक अदद कारतूस 315 बोर बरामद होने पर मु०अ०सं० 111/2021 धारा 3/25 A Act व अभियुक्त विजय पाल उर्फ सन्नी पुत्र दिल्ली धर नि० ग्राम चमरौआ थाना भोजीपुरा जिला बरेली के कब्जे से एक अदद तमंचा 12 बोर मय एक अदद कारतूस 12 बोर बरामद होने पर मु०अ०सं० 112/2021 धारा 3/25 A Act व अभियुक्त सुमित गंगवार पुत्र विद्याराम नि० मो० आजाद नगर, ट्रांजिट कैम्प थाना ट्रांजिट कैम्प जिला उद्यम सिंह नगर (उत्तराखण्ड) के कब्जे से एक अदद नाजायज चाकू बरामद होने पर मु०अ०सं० 113/2021 धारा 4/25 A Act पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। थाना पुलिस द्वारा लूटेरो को गिरफ्तार करने पर जनता में खुशी की लहर दौड़ी है क्योंकि ऐसे शातिर लूटेरो के जेल जाने से पुलिस की छवि सुधरने के साथ लूट की घटनाओं पर भी लगाम लगेगी। उच्चाधिकारीगणों व जनता द्वारा थाना शाही पुलिस द्वारा किये गये कार्य की भूरि भूरि प्रशंसा की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

1. एक अदद तमंचा 315 बोर मय एक अदद कारतूस 315 बोर
2. एक अदद तमंचा 12 बोर मय एक अदद कारतूस 12 बोर
3. एक अदद नाजायज चाकू
4. दो अदद टार्च
5. दो अदद मोटर साईकिल

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. त्रिवेन्द्र उर्फ मोनू पुत्र चुन्नी लाल नि० ग्राम चमरौआ थाना भोजीपुरा जिला बरेली
2. विजय पाल उर्फ सन्नी पुत्र दिल्ली धर नि० ग्राम चमरौआ थाना भोजीपुरा जिला बरेली
3. सुमित गंगवार पुत्र विद्याराम नि० मो० आजाद नगर, ट्रांजिट कैम्प थाना ट्रांजिट कैम्प, उद्यम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)

आपराधिक इतिहास -

1. मु०अ०सं० 110/21 धारा 398/401 IPC थाना शाही जनपद बरेली
2. मु०अ०सं० 111/21 धारा 3/25 A ACT थाना शाही जिला बरेली
3. मु०अ०सं० 112/21 धारा 3/25 A ACT थाना शाही जिला बरेली
4. मु०अ०सं० 113/21 धारा 4/25 A ACT थाना शाही जिला बरेली
5. मु०अ०सं० 166/18 धारा 392/411/413 IPC थाना सीबीगंज जिला बरेली
6. मु०अ०सं० 212/18 धारा 413/411 IPC थाना भोजीपुरा जिला बरेली

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री अश्वनी कुमार थाना शाही जनपद बरेली
2. उ०नि० श्री जसवीर सिंह थाना शाही जनपद बरेली
3. हे०का० 246 महावीर सिंह थाना शाही जनपद बरेली
4. हे०का० 683 ओमपाल सिंह थाना शाही जनपद बरेली
5. का 1975 मौ० जावेद थाना शाही जनपद बरेली
6. का० 3443 सोविन्द सिंह थाना शाही जनपद बरेली

थानाध्यक्ष शाही
जनपद-बरेली